

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, 2- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ, दिनांक 27 जनवरी, 2016

विषय:-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य सोसायटी (DHS) की बैठकों की प्रक्रिया के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

जिला स्वास्थ्य सोसायटी के गठन और इसके संशोधन हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-2749/पांच-9-06-9(168)/06 दिनांक 16 नवम्बर 2006 एवं 80/पांच-9-14-9(56)/13, दिनांक 15 जनवरी, 2014 के क्रम में प्रक्रिया के सुदृढीकरण के उद्देश्य से यह शासनादेश जारी किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा मातृ मृत्यु दर एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने, उच्च गुणवत्तापरक परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2017 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

2- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम में निहित विभिन्न गतिविधियों की नियमित समीक्षा हेतु वर्तमान में एक प्रणाली विद्यमान है, जिसे सुदृढ किया जा रहा है, जिससे मुख्य स्वास्थ्य संकेतकों यथा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर आदि के लक्ष्यों को निश्चित समय सीमा में प्राप्त किया जा सके।

इस शासनादेश के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :-

- (अ) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु मानक प्रणाली निर्धारित किया जाना (बैठकों हेतु सैम्पल एजेण्डा संलग्नक-1)
- (ब) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों के बेहतर नियोजन/क्रियान्वयन हेतु एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/ सपोर्टिव सुपरविजन/ समुदाय एवं केन्द्र आधारित सर्वे के आंकड़ों का नियमित प्रयोग किया जाना।
- (स) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभावी समीक्षा हेतु एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन, (www.uphealth.up.in एवं www.upnrhm.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

gov.in) डैशबोर्ड (www.swasthsamaj.com) आदि पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रयोग किया जाना।

(1) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी (डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी) के मुख्य कार्य :-

- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की मासिक बैठकों का आयोजन।
- जिला कार्य योजना को स्वीकृत करना एवं यह सुनिश्चित करना कि यह रोबस्ट गैप विश्लेषण पर आधारित है।
- राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुसार, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करना।
- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा कार्यक्रमों की समुचित भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि सुनिश्चित किया जाना।
- हेल्थ मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (HMIS) बुलेटिन, डैशबोर्ड एवं मुख्य चिकित्साधिकारी की रैंकिंग के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों में जिले की परफार्मेंस की निगरानी करना, कमियों की पहचान करना एवं उनमें सुधार सुनिश्चित करना।
- आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की पूर्व की बैठकों में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का फॉलो-अप करना।
- राज्य स्तर से निर्गत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन एवं नियमित समीक्षा।

(2) जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

- शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) की बैठक से पहले कार्यकारी समिति (एकजीक्यूटिव कमेटी) की बैठक का होना आवश्यक है।
- कार्यकारी समिति की बैठक में चिन्हित मुख्य मुद्दों को निर्णयार्थ शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।
- कार्यकारी एवं शासी निकाय की बैठकों को निम्न प्रकार से संचालित किया जाए :-

क्रमांक संख्या	समीक्षा का क्षेत्र	आवृत्ति	चिन्हित कमियों का विश्लेषण	डेटा स्रोत एवं समीक्षा के टूल्स	स्तर
1	जिला कार्ययोजना (DHAP) में निर्धारित	मासिक	मानव संसाधन, भौतिक संरचना, उपकरण, औषधि एवं आपूर्ति की समीक्षा, विशेषकर-प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा औषधियों की उपलब्धता (5*5 मैट्रिक्स के अनुसार) एवं ओपीडी०	संलग्नक-२ (ए से डी तक)	कार्यकारी समिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कियां गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा	आई0पी0डी0, लैब जांच इत्यादि का समुचित प्रबंधन।		
2	आंकड़ों की मासिक गुणवत्ता की समीक्षा	<p>1) समय से डेटा अपलोड सुनिश्चित किया जाना।</p> <p>2) जिला स्तरीय वैधता समिति (डेटा वैलिडेशन कमेटी) की बैठक एवं उसके द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण की स्थिति की समीक्षा।</p> <p>3) एच0एम0आई0एस0 सपोर्टिव सुपरविजन एवं डेटा ऑडिट के परिणामों का विश्लेषण।</p> <p>4) ए0एन0एम0 के पास आशावार आर0सी0एच0 रजिस्टरों की उपलब्धता की समीक्षा।</p> <p>5) जिला वैलिडेशन कमेटी द्वारा मासिक रूप से अपलोड किये जाने वाले एच0एम0आई0एस0 डेटा एवं ब्लॉकों द्वारा तैयार किये गये डेटा का आडिट किया जाए तथा डेटा में पाई जाने वाली त्रुटि, हेरफेर एवं लापरवाही के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।</p>	एच0एम0आई0एस0/ एम0सी0टी0एस0 डेटा/सपोर्टिव	कार्यकारी समिति
3	RMNCH+A की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सपोर्टिव सुपरविजन विजिट	<p>1) दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित भ्रमण सत्रों का नियोजन।</p> <p>2) जिला एवं ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा नियोजित भ्रमण सत्रों की समीक्षा।</p> <p>3) आवश्यक औषधियों एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति में कमी की समीक्षा।</p> <p>4) सभी प्रसव इकाइयों (एल-1, एल-2 एवं एल-3) पर आवश्यक RMNCH+A औषधियों,</p>	RMNCH+A	कार्यकारी सहयोगी पर्यवेक्षण भ्रमण के परिणाम

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			कन्जयूमेबिल्स एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता को ट्रैक करना।		
4	स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा	मासिक	विभिन्न मातृ स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम यथा जे०ए०स० ए०स०के०, जननी सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यथा एन०आर०सी०, एन०बी०ए०स०य०, एन०बी० सी० सी०, ए०स०ए०न०सी०य०, आर०बी०ए०स०के०, आर०के०ए०स०के०, परिवार नियोजन, टीकाकरण एवं विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा।	एच०ए०म०आई०ए०स०, वेब पोर्टल एवं अन्य निर्धारित रिपोर्टिंग प्रपत्र (<u>संलग्नक-4</u> सांकेतिक रिपोर्टिंग प्रारूप)	कार्यकारी समिति
5	कम्युनिटी प्रोसेस एवं ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस	मासिक	1) ब्लॉकों में आशा की नियुक्ति की स्थिति। 2) क्लस्टर बैठक में आशा की प्रतिभागिता। 3) आशा के पास VHIR की उपलब्धता की स्थिति। 4) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्रों का नियोजन एवं आयोजन। 5) ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता।	सांकेतिक रिपोर्टिंग प्रारूप) (<u>संलग्नक-5</u>)	कार्यकारी समिति
6	आच्छादन एवं सेवा उपभोग की समीक्षा	मासिक	1) ब्लॉकवार तय किये गये लक्ष्य एवं उनके सापेक्ष प्राप्त की गयी उपलब्धियाँ एवं उनकी गुणवत्ता की समीक्षा। 2) एच०ए०म०आई०ए०स० डेटा एवं एच०ए०म०आई०ए०स० बुलेटिन के आधार पर सभी RMNCH+A संकेतकों की समीक्षा। 3) अन्य एच०ए०म०आई०ए०स० आंकड़े जैसे ओ०पी०डी०, आई०पी०डी०, लैब जांच, शल्य क्रिया और संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों की भी समीक्षा की	एच०ए०म०आई०ए०स० डेटा, एच०ए०म०आई०ए०स० बुलेटिन एवं अन्य सर्वे रिपोर्ट एच०ए०म०आई०ए०स० बुलेटिन	कार्यकारी समिति

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			जाय।		
			4) सेवाओं की गुणवत्ता के आंकलन के लिए केन्द्र आधारित डेटा (सर्वया आरम्भिक आंकलन) का प्रयोग किया जाय।	सर्वे डेटा	
			यदि कार्यकारी समिति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे चिन्हित किये जाते हैं तो उन्हें शासी निकाय की बैठक में निर्णयार्थ ले जाया जाए।		शासी निकाय
7	वित्तीय परफॉर्मेंस की समीक्षा	मासिक	<p>1) मासिक वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा तथा पिछले वर्ष उसी माह तक से तुलना एवं सुधारात्मक कार्यवाही।</p> <p>2) कांकरेट ऑडिट, बी0आर0एस0, आर0के0एस0 ऑडिट रिपोर्ट एवं पी0एम0एफ0एस0 एडवाइजरी की समीक्षा करना।</p> <p>3) जिला आडिट कमेटी की मासिक बैठक प्रत्येक दो माह में एक बार आयोजित कराया जाना।</p>	वित्तीय मासिक रिपोर्ट (एफ0एम0आर0) (संलग्नक-6)	कार्यकारी समिति एवं शासी निकाय
8	जिला एवं ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य कार्य योजना	वार्षिक	<p>1) चिकित्सा स्वास्थ्य इकाईवार प्रशिक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, औषधि, उपकरण, कञ्ज्यूमेबिल्स इत्यादि की गैप एनालिसिस करना।</p> <p>2) जनसंख्या, इकाईयों पर उपलब्ध सेवाओं एवं सुविधाओं के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं का चिन्हीकरण किया जाना।</p> <p>3) स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं एवं स्वास्थ्य इकाईयों की संख्या सुनिश्चित किया जाना।</p>	भारत सरकार के मानकानुसार इकाईयों पर चिन्हित गैप्स/एच0एम0आई0एस0 डेटा।	शासी निकाय
9	ब्लॉक स्तर पर फण्ड का आनुपातिक निर्धारण	एक बार ब्लॉक स्तरीय परफॉर्मेंस/राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर।	स्वीकृत कार्ययोजना के आधार पर	शासी निकाय	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के सचिवालय के रूप में कार्य कर रही है, का यह उत्तरदायित्व है कि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से जारी एन0एच0एम0 डैप गाइडलाइन बुकलेट पर जनपद स्तरीय शासी निकाय से एकमुश्त अनुमोदन प्राप्त किया जाय। इस प्रकार एफ0एम0आर0 कोडवार विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्य स्तर से स्वीकृत धनराशि पर अध्यक्ष शासी निकाय स्तर से पत्रावली पर पृथक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। कतिपय गतिविधियों के लिये धनराशि की स्वीकृति डैप बुकलेट के अतिरिक्त दी जाती है, उन पर शासी निकाय का अनुमोदन लिया जाना होगा। इस सम्बन्ध में राज्य स्तर से पत्र संख्या-एस0पी0एम0य०० /नियोजन/17/2015-16/7550-2, दिनांक 23.10.2015 द्वारा भी पूर्व में निर्देश प्रेषित किये गये हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि एन0एच0एम0 की गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटन/अवमकित सम्बन्धी पत्रावली जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक तथा जनपदीय लेखा प्रबन्धक के माध्यम से ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अधिकारी को अग्रसारित की जाय। प्रत्येक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाय कि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित प्रोग्राम/चिकित्सा इकाई के खाते में धनराशि तत्काल स्थानान्तरित कर दी जाय, जिससे उस धनराशि का समुचित व्यय हो सके।

डी0एच0एस0 की प्रभावी बैठक के लिये निम्न तैयारियाँ सुनिश्चित की जाएः-

- जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक निश्चित रूप से आयोजित की जाए, जिससे ब्लॉक स्तर पर गतिविधियों के क्रियान्वयन की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
- पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों के आधार पर अनुपालन आख्या तैयार की जाए।
- पी0आई0पी0 की तैयारी के दौरान राज्य स्तर से साझा की गयी मानक चेकलिस्ट का प्रयोग इकाइयों पर गैप्स के विश्लेषण हेतु किया जाए, जिसमें मुख्य रूप से मानव संसाधन प्रशिक्षण, औषधि, उपकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इत्यादि से सम्बन्धित बिन्दु सम्मिलित हों।
- जिला कार्ययोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति का संजान लिया जाए (एच0आर0 की नियुक्ति, प्रसव इकाई की क्रियाशीलता की स्थिति, औषधि/उपकरण की आपूर्ति इत्यादि)।
- स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, सेवाओं का उपयोग एवं दी गयी सेवाओं की गुणवत्ता, आच्छादन आदि संकेतकों का विश्लेषण किया जाए। इसके लिये RMNCH+A सपोर्टिव सुपरविजन विजिट एवं डैशबोर्ड का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित पी0आई0पी0 में आवश्यकतानुसार समायोजन किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भौतिक प्रगति की मासिक समीक्षा:-

- अन्तिम माह में कार्यक्रम की समीक्षा एवं कमियों की पहचान करने हेतु एच0एम0आई0एस0 डेटा, एच0एम0आई0एस0 बुलेटिन और डैशबोर्ड की समीक्षा की जाए।
- पिछले माह तक किये गये सहयोगी पर्यवेक्षण से प्राप्त डेटा की समीक्षा की जाए और बैठक से पूर्व सुधारात्मक कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली जाए।
- वैलिडेशन कमेटी की बैठक में चिन्हित की गई एच0एम0आई0एस0 डेटा गुणवत्ता विश्लेषण यथा वैलिडेशन त्रुटि, कंसिस्टेंसी त्रुटि, कमेटी की बैठकों के सत्यापन की स्थिति, एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/सहयोगी पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट तथा डेटा ऑडिट आदि की संक्षिप्त सूचना पहले से ही तैयार कर ली जाय।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक के साथ बैठकर सहयोगी पर्यवेक्षण की चेकलिस्ट, एच0एम0आई0एस0 डेटा एवं डैशबोर्ड की सूचना के आधार पर कम उपलब्धि वाले ब्लॉकों की सूची तथा इनकी चुनौतियों की सूची तैयार कर सुधार हेतु इनकी ड्राफ्ट कार्ययोजना तैयार की जाए।(संलग्नक-7)

वित्तीय प्रगति की समीक्षा:-

- पिछले माह तक की वित्तीय मासिक रिपोर्ट (FMR) या बजट उपभोग का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध होना चाहिए। मटवार इनकी समीक्षा की जाए।
- प्राप्त बजट एवं बजट आवंटन सारांश उपलब्ध होना चाहिए, जिस पर समीक्षा की जाए।
- एच0एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0 डेटा के आधार पर मुख्य संकेतकों की भौतिक प्रगति के सापेक्ष वित्तीय प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की जाए।
- विभिन्न सरकारी आदेशों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाए।
- गतिविधिवार राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई से प्राप्त धनराशि एवं जनपद स्तर से विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों को अवमुक्त धनराशि की समीक्षा।
- जिला ऑडिट कमेटी की बैठक का आयोजन प्रत्येक दो माह के अन्तराल पर की जाय तथा उसमें कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की जाय। साथ ही आर0के0एस0 के ऑडिट की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाय।

(3) बैठक का आयोजन, कार्यवृत्त जारी कराना एवं निर्णयानुसार कार्यवाही करना:-

जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक के आयोजन का उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी (संयोजक) का है, जिसे वे प्रत्येक माह सैम्पल के रूप में दिये गये एजेण्डा एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित करायेंगे। बैठक के आयोजन के 3 दिन में हस्ताक्षरित कार्यवृत्त की pdf file एस0पी0एम0य०० कार्यालय के ई-मेल menrhm@gmail.com पर भेजी जाय। इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक स्तर से पत्र संख्या-एस0पी0एम0य०० /एन0एच0एम0/एम एण्ड ई/2015-16/12/8480, दिनांक 17.12.2015 के माध्यम से पूर्व में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भी आपको निर्देश भेजे गये हैं। उक्त के अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य सोसाइटी की कार्यकारी समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह आयोजित होना अनिवार्य है, जिसके संयोजक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी-आर0सी0एच0/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक हैं।

आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें उपर्युक्त दिशा-निर्देशों एवं संलग्न प्रपत्रों के अनुसार आयोजित कराने का कष्ट करें, ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गति प्रदान की जा सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जा सकेगा।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2016/115(1)/पॉच-9-2016, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, 30प्र0।
- 4- अधिशासी निदेशक, य०पी0-टी0एस0य०।
- 5- परियोजना निदेशक, य०पी0एच0एस0एस0पी0।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0।
- 7- समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वित्त नियन्त्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0।
- 8- समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 30प्र0।

आजा से,

2/9/16

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कार्यकारी समिति (ई०सी०) की बैठक का सांकेतिक (सैम्प्ल) एजेण्डा

क्र.सं.	एजेण्डा सामग्री
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
2.	विगत बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन आख्या।
3.	वित्तीय प्रगति की समीक्षा (एफ०एम०आर० कोडवार)
4.	RMNCH+A एवं अन्य एन०एच०एम० कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की भौतिक प्रगति तथा गत वर्ष की उपलब्धियों से तुलना।
5.	जनपदीय कार्ययोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा।
6.	सपोर्टिंग सुपरविजन विजिट्स की समीक्षा (आपूर्ति, उपकरण, औषधियां, एच०आर० इत्यादि)
7.	डेटा अपलोडिंग एवं गुणवत्ता की समीक्षा।
8.	काग्युनिटी प्रोसेस के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा।
9.	जारी की गयी नवीन मार्गदर्शिकाओं, अभियानों इत्यादि की समीक्षा (वाई०एम०सी०एच० एवं अन्य)
10.	शासी निकाय की आगामी बैठक हेतु चिन्हित मुख्य मुद्दे।
11.	अन्य बिन्दु

शासी निकाय (जी.बी.) की बैठक का सांकेतिक (सैम्प्ल) एजेण्डा

क्र.सं.	एजेण्डा सामग्री
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।
2.	विगत बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन आख्या।
3.	वित्तीय प्रगति की समीक्षा (एफ०एम०आर० कोडवार)
4.	RMNCH+A एवं अन्य एन०एच०एम० कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं की भौतिक प्रगति तथा गत वर्ष की उपलब्धियों से तुलना।
5.	जनपदीय कार्ययोजना की तैयारी एवं रचीकृति। शासी निकाय सुनिश्चित करे कि विभिन्न राज्य / डेटा खोती से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है।
6.	राज्य स्तर से प्राप्त स्वीकृतियों के अनुसार धनराशि का आवंटन।
7.	राज्य स्तर से जारी महत्वपूर्ण शासनादेशों/दिशा निर्देशों पर क्रियान्वयन की समीक्षा।
8.	जनपद से अपलोड किये जा रहे डेटा की गुणवत्ता की समीक्षा।
9.	कार्यकारी समिति द्वारा चिन्हित बिन्दुओं पर निर्णय।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

10. अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से।

संलग्नक-2

प्रसव इकाइयों पर मानव संसाधन, औषधियों एवं आपूर्ति

माह..... वर्ष.....

ए) मानव संसाधन की उपलब्धता

प्रसव इकाई का प्रकार	प्रसव इकाइयों की सं. पर एनरथेटिस्ट उपलब्ध हो।	प्रसव इकाइयों की सं. जिन पर बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो।	प्रसव इकाइयों की सं. जिन पर स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो।	प्रसव इकाइयों की सं. जहाँ 3 या अधिक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो। (स्टाफ नर्स, ए एन.एम./एल एच.वी-एल2/3 के लिए एवं एल1 पर ए.एन.एम.)	प्रसव इकाइयों की सं. जिन पर एल0एम0ओ0 उपलब्ध हो।	प्रसव इकाइयों की सं. जिन पर एल0एम0ओ0 उपलब्ध हो।	सम्पूर्ण स्टाफ के साथ क्रियाशील प्रसव इकाई की सं.*
एल1							
एल2							
एल3							

* क्रियाशीलता के लिए अनिवार्य स्टाफ

एल3: कम से कम एक एनरथेटिस्ट, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ/सर्जन एवं तीन स्टाफ नर्स/ए.एन.एम./एल एच.वी.

एल2: कम से कम एक चिकित्सा अधिकारी एवं तीन स्टाफ नर्स/ए.एन.एम./एल.एच.वी.

एल1: कम से कम एक एस.बी.ए. प्रशिक्षित ए.एन.एम.

बी) केन्द्रों पर उपलब्ध मानव संसाधन (डिलीवरी प्वाइंटों एवं नॉन-डिलीवरी प्वाइंटों पर),

माह वर्ष

क्रम सं.	ब्लॉक	केन्द्रों की सं.	विभिन्न केन्द्रों में स्टाफ की सं.	उपकेन्द्र की सं.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		सी एच सी	पी एच सी	एस सी	सी एच सी पर स्वीकृत चिकित्साधिकारियों की सं	सी एच सी पर पदश्थ चिकित्साधिकारियों की सं	पी एच सी पर स्वीकृत चिकित्साधिकारियों की सं	पी एच सी पर स्वीकृत चिकित्साधिकारियों की सं	सी एच सी/पी एच सी पर स्वीकृत स्टाफ नर्स एवं एन.एम. की सं	सी एच सी/पी एच सी पर पदश्थ स्टाफ नर्स एवं एन.एम. की सं	सीएचसी/पीएचसी पर स्वीकृत आयुष चिकित्साधिकारी	सीएचसी/पीएचसी पर पदश्थ आयुष चिकित्साधिकारी	बिना ए.एन.एम. के	1 से अधिक ए.एन.एम. वाले	• टिप्पणी

सी) प्रसव इकाइयों के लिए आवश्यक औषधियों/उपकरणों की स्थिति

माह वर्ष

दवा एवं आपूर्ति	जनपद स्तर पर आवश्यक संख्या (एक त्रैमास में)	जिले पर उपलब्ध स्टॉक (पिछले माह का आखिरी स्टॉक)	पिछले त्रैमास के दौरान स्टॉक आउट हुए ब्लॉकों के नाम	पिछले त्रैमास के दौरान स्टॉक आउट वाले डिलीवरी प्लाइट की सं.
प्रजनन स्वास्थ्य				
एम.वी.ए. किट / ई.वी.ए.				
मातृ स्वास्थ्य				
इंजे. ऑक्सीटोसिन				
मिसोप्रॉस्टॉल गोली				
एण्टीहाइपरटेन्जिव (एल्फा मेथिलडोपा / लाबेलाटॉल निफेडिपाइन)	या			
इंजे. मैग्नीशियम सल्फेट				
नवजात स्वास्थ्य				
इंजे. विटामिन के (1 मिग्रा/मिली)				
स्थूकस एक्सट्रैक्टर				
प्रि एवं टर्म मार्स्क (आकार 0,1) के साथ बैग एवं मार्स्क (240 मिली)				
साफ लिनेन/तौलिया नवजात को				

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

दवा एवं आपूर्ति	जनपद स्तर पर आवश्यक संख्या (एक त्रैमास में)	जिले पर उपलब्ध स्टॉक (पिछले माह का आखिरी स्टॉक)	पिछले त्रैमास के दौरान स्टॉक आउट हुए ब्लॉकों के नाम	पिछले त्रैमास के दौरान रटोंक आउट वाले डिलीवरी प्वाइंट की सं।
लेने के लिए				
रटेराइल किया हुआ कॉर्ड काटने वाला उपकरण				
क्रियाशील रेडिएंट वार्मर				
अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न उपकरण / औषधि / सामग्री				

डी) प्रसव इकाइयों की सक्रियता

ब्लॉक का नाम	स्तर	एम०एन०एच० टूल किट के अनुसार आवश्यक डिलीवरी प्वाइंट की सं।	वर्तमान में क्रियाशील डिलीवरी प्वाइंट की सं।	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नए डिलीवरी प्वाइंट की सं।	रिपोर्टिंग माह में सक्रिय किये गये नए डिलीवरी प्वाइंट की सं।
एल1					
एल2					
एल3					
एल1					
एल2					
एल3					

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

एच.एम.आई.एस. डेटा की गुणवत्ता विश्लेषण का प्रारूप

माह वर्ष

जिला स्तरीय वैधता समिति (डेटा वैलिडेशन कमेटी) बैठक हुई (हां/नहीं)?

क्रम सं.	ब्लॉक का नाम	क्या ब्लॉक स्तर पर वैधता समिति का गठन किया गया है? (हां/नहीं)	ब्लॉक पर वैधता समिति की बैठक हुई है (हां/नहीं)	स्वास्थ्य इकाइयों की सं.	माह की 5 तारीख को एच.एम.. आई.एस. डेटा भरने वाली स्वास्थ्य इकाइयों का प्रतिशत	माह की 10 तारीख को एच.एम.आई.एस. डेटा भरने वाली स्वास्थ्य इकाइयों का प्रतिशत	वैधता नियम में असफल हुए केन्द्रों का प्रतिशत	पिछले माह में डेटा ऑडिट एवं सहयोगी पर्यवेक्षण, एच.एम.आई.एस./एम.सी.टी.एस. के लिए भ्रमण की गयी स्वास्थ्य इकाइयों की संख्या
1	उदाहरण: राजापुर	हां	नहीं	300	75%	0%	12%	30
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
	कुल							

टिप्पणी : क्षेत्र में एच.एम.आई.एस.0, सपोर्टिव सुपरविजन एवं डेटा आडिट के फलस्वरूप चिह्नित की गयी सूचना डेटा की गुणवत्ता एवं क्षेत्रों में उनकी स्थिति हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा

माह वर्ष

विभिन्न रवारथ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा हेतु केवल सांकेतिक प्रारूप दिये जा रहे हैं तथा आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित किया जा सकता है। इसी प्रकार समर्त गतिविधियों के लिए समीक्षा प्रारूप जनपद रत्तर पर विकसित करके प्रयोग किए जाएं।

ए.) पोषण पुनर्वास केन्द्र, जिले में पोषण पुनर्वास केन्द्रों की संख्या

पोषण पुनर्वास केन्द्रों का नाम	भर्ती हुए बच्चों की सं. (क्रमिक)	ठीक होकर डिस्चार्ज हुए बच्चों की सं. (क्रमिक)	केन्द्र में पूरे 14 दिनों तक रुकने वाले बच्चों की सं. (क्रमिक) एवं प्रतिशत		डिस्चार्ज के बाद कम से कम 4 बार फॉलो अप के लिए लाए गए बच्चों की सं. (क्रमिक)	
			संख्या	%	संख्या	%

बी) जे0एस0एस0के0

माह, वर्ष

ब्लॉकों की सं.	प्रसवों की क्रमिक सं. (स्रोत— एच.एम. आई.एस.)	जे एस एस के सेवाओं को लेने वाले लाभार्थियों की सं. (क्रमिक):										
		दवाइयां कंज्यूमेबल	एवं	%	आहार	%	ब्लड ट्रांसफ्यूजन	%	निदान	%	102 से ट्रांसपोर्ट	%

सी) आर0बी0एस0के0

माह, वर्ष

ब्लॉकों का नाम	मानकानुसार आर0बी0एस0के0 टीमों की संख्या	वर्तमान में कार्यरत टीमों की संख्या	पिछले माह कवर किए गए स्कूलों की सं.	पिछले माह के स्कूलों में स्क्रीन हुए बच्चों की सं.	पिछले माह रेफर किए गए बच्चों की सं.	पिछले माह में आच्छादित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सं.	पिछले माह के आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्क्रीन हुए बच्चों की सं.	पिछले माह में रेफर किए गए बच्चों की सं.	संदर्भित के सापेक्ष उपचारित बच्चों की संख्या	

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सामुदायिक कार्यक्रम एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस

ए) आशा प्रोत्साहन राशि की दशा

माह वर्ष

ब्लॉक का नाम	माह का नाम जब तक आशा को प्रोत्साहन राशि दी गई								
	ए.एन.सी. पंजीकरण	जननी सुरक्षा योजना	प्रतिरक्षण	परिवार नियोजन	क्लस्टर बैठक	एएए बैठक	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	वी.एच. आई.आर.	
उदाहरण: बेहटा	मार्च 15	मार्च 15	फरवरी 15	अप्रैल 15	फरवरी 15	जनवरी 15	जनवरी 15	अप्रैल 15	

बी) ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस की स्थिति एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस की निगरानी

माह वर्ष

ब्लॉकों के नाम	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्रों की सं. (स्रोत: एच.एम.आई.एस.)								
	नियोजित	निगरानी की गई	निगरानी भ्रमणों के दौरान उन ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्रों की सं. जहां दवाइयां, आपूर्ति एवं क्रियाशील उपकरण पाए गए						
	नियोजित	सम्पन्न हुई	बी पी मशीन	हीमोग्लोबिन भाषण	मूत्र में एल्ब्यूमिन जांच	थर्मामीटर	बच्चे का वजन लेने की मशीन	वयस्कों का वजन मापने की मशीन	ट्रैडिंग निगरानी चार्ट

ओ आर एस एवं जिक

आशावार आर सी एच रजिस्टर

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा

							माह	वर्ष	
							गत माह	गत माह	टिप्पणी
							तक	तक	
एफ एम आर कोड	बजट हेड	वर्तमान वर्ष में स्वीकृत धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि (गत वर्षों की रक्षित एवं इस वर्ष प्राप्त)	कुल व्यय (गत माह तक की व्यय धनराशि— क्रमिक)	गत माह तक की अवशेष धनराशि	गत माह तक उपयोगित धनराशि (वर्तमान वर्ष) (की)			
	कुल जिला (A+B+C+D+P+III+IV)								
ए	आर सी एच फ्लैक्सी पूल								
ए.1	मातृ स्वास्थ्य								
ए.1.3	जननी सुरक्षा योजना / जे एस वाई								
ए.1.3.3	प्रशासनिक खर्च								
ए.1.6	जे एस एस के (गर्भवती महिलाओं के लिए)								
ए.2	बाल स्वास्थ्य								
ए.2.10	जे एस एस के (बीमार नवजातों जैसे 1 वर्ष तक के, के लिए)								
ए.4	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम								
ए.4	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम								
ए.5	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम								
ए.5	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम								
ए.5.1	आर बी एस केंद्रियान्वयन कीमत (सहयोगत्यात्मक, डी ई आई सी इत्यादि)								
ए.8	मानव संसाधन								
ए.8.1	संविदा वाले रटाफ एवं सेवाएं (आयुष को छोड़कर)								
ए.10	कार्यक्रम प्रबंधन								
ए.10	कार्यक्रम / राष्ट्रीय ग्रामीण रवास्थ्य मिशन प्रबंधन								

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 2- इस शासनादेश की प्रभाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कीमत

	ब्लॉक पी एम यू का राशक्तीकरण (एव आर प्रबंधन कीमत गत्यात्मकसहयोग, क्षेत्र भ्रमण सहित)						
ए 10.3	समयरेखा वाली गतिविधियाँ — राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अतिरिक्त						
बी	(मिशन का फलैक्सी पूल)						
बी 1	आशा						
बी 2	अनटाइड फण्ड / वार्षिक मेनटेनेन्स ग्राण्ट / एच एम एस / आर के एस का कॉरपस ग्राण्ट						
बी 4	अस्पताल का सषक्तीकरण						
बी 5	नए निर्माण / नवीनीकरण एवं रेटिंग अप						
बी 9	आयुष को मेनरट्रीम करना						
बी 10	आई ई सी— बी सी सी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन						
बी 16	रख—रखाव						
बी 16.1	उपकरणों का रख—रखाव						
बी 16.2	दवाइयों एवं आपूर्ति का रख—रखाव						
बी 16.24	हॉस्पिटल वेर्ट प्रबंधन						
बी 16.24	साफ सफाई एवं झाड़ू पोछा						
बी 23	अन्य खर्च (पावर बैंक अप, कवर्जेस इत्यादि)						
बी 23	पी ओ एल						
सी	प्रतिरक्षण						

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर को आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रोडी १							
रोडी ५							
तक	नोटगिता प्रतिरक्षण						
रोडी ६	पल्स पालियो						
डी	राष्ट्रीय आर्योडीन न्यूयता डिसऑर्डर नियंत्रण कार्यक्रम						
पी	राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन						
P	National Urban Health Mission						
पी	राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन						
पी.४.२	अवसरकना सशक्तीकरण						
पी.४.४.२	उपकरणों का रख-रखाव						
	अन्य रख-रखाव						
भाग-III	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम						
E	IDSP						
ई	आई डी एस पी						
एफ	एन वी बी डी सी पी						
जी	एन एल ई पी						
एच	आर एन टी सी पी						
भाग-IV	असंक्रामक रोग						
आई	राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB)						
जे	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम						
के	वरिष्ठ जनों का स्वास्थ्य देखभाल						
एल	बहरापन (NPPCD)						
एम	राष्ट्रीय तम्बाकू कार्यक्रम						
एन	राष्ट्रीय ओरल स्वास्थ्य कार्यक्रम						
ओ	केसर डायबिटीज, रटोक (NPCDCS)						

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चिन्हित चुनौतियों हेतु मासिक कार्ययोजना का प्रारूप

माह वर्ष

चिन्हित चिंता के क्षेत्र (विभिन्न डेटा स्रोतों के आधार पर जैसे—डैशबोर्ड एवं एच एम आई एस बुलेटिन)	ब्लॉक का नाम	चिन्हित मुख्य चुनौतियाँ	प्रस्तावित कार्य योजना	उत्तरदायी व्यक्ति	समय सीमा
उदाहरण स्वरूप— रास्थागत प्रसव 50 प्रतिशत से कम	बेहटा (23 प्रतिशत)	ब्लॉक पर केवल 1 डी पी उपलब्ध	एल1 के अनुसार पी. एच.सी. जसमंडा पी. एच.सी. एवं एल2 डी. पी. के अनुसार पी.एच. सी. सुजनामऊ	ए.सी.एम.ओ. आर.सी.एच. एवं एम.ओ.आई.सी. बेहटा	31 मार्च, 2016

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।